उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्या:- 21/2019/965/80-1-2019-600(85)/2010
लखनऊ: दिनांक 04 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 17-क की उप धारा (1) के खण्ड (ख) और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 138 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, मै0 स्वाती मेन्थाल एण्ड एलाइड कैमिकल्स लि0, बरेली रोड, जिला-रामपुर उत्तर प्रदेश को मेन्था प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिन्ट के कच्चे माल के क्रय, उनके तेल और तेलों से निकाले गये ठोस पदार्थ और ठोस पदार्थ को निकालने के पश्चात् बचे अवशेष को भारत के बाहर निर्यात करने पर इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिये निम्नलिखित शर्तों और निर्बधनों के साथ मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर के संदाय से छूट प्रदान करती हैं:-

(1) लाईसेन्सधारी इकाई/फर्म/प्रसंस्करण इकाई, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के उपबन्धों और तद्धीन बनायी गयी नियमावली (समय-समय पर यथा संशोधित) तथा मण्डी समिति द्वारा बनायी गयी उपविधियों के उपबधों का अनुसरण करेगी;

(2) लाईसेन्सधारी इकाई/फर्म/प्रसंस्करण इकाई, इकाई में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण, मण्डी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(3) यदि स्वामित्व/भागीदारी में कोई परिवर्तन होता है तो लाईसेंसधारी इकाई/फर्म/ प्रसंस्करण इकाई को मण्डी समिति से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा;

(4) यदि लाईसेन्स में उल्लिखित भण्डार और भाण्डागार में कोई विस्तार/परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना मण्डी समिति को देना होगा।

(5) लाईसेन्सधारी को सचिव तथा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी/कर्मचारियों को अभिलेखों और स्टाक की जांच करने के लिए समुचित सुविधाओं का उपबंध करना होगा।

(6) लाईसेन्सधारी को मण्डी समिति के सभापति/सचिव अथवा उसके किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की मांग पर लाईसेन्स प्रस्तुत करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(7) लाईसेन्सधारी को अपने परिसर में विक्रय अथवा भण्डारण के लिए लाये गये कृषि उत्पाद की सुरक्षा तथा संरक्षा का उपबंध करना होगा।

(8) यह कि फर्म द्वारा निर्यात, पत्तन, वायुमार्ग या राज्य की सीमा के अधिसूचित सड़क से किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त उक्त सुविधाए बांगलादेश तथा नेपाल को किये गये निर्यात के लिये भी अनुमन्य होंगी, जिसकी सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति तथा राज्य सरकार के कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 को दी जायेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उक्त निर्यात सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(9) जब निर्यात, निर्यातकर्ता द्वारा स्वयं किया जाय तो फर्म का निर्यात दायित्व पूर्ण किया गया समझा जायेगा, यदि उतराई/लदाई देयक की प्रमाणित/अनुप्रमाणित प्रति के साथ निर्यात से सम्बंधित किये गये संदाय से सम्बंधित अन्य अभिलेख तथा विवरण गेट पास जारी किये जाने के दिनांक से 180 दिन के भीतर सम्बंधित मण्डी समिति को प्रस्तुत कर दिये जाते हैं।

(10) फर्म को सड़क द्वारा प्रेषित निर्यात किये गये उत्पादों का विवरण, सम्बन्धित मण्डी समिति को गेटपास जारी किये जाने के दिनांक से 60 दिन के भीतर उपलब्ध कराना होगा।

(11) निर्यात से पूर्व, निर्यातकर्ता को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रय पर देय मण्डी शुल्क और विकास उपकर की धनराशि के समतुल्य बैंक प्रत्याभूति सम्बंधित मण्डी समिति/ लाइसेंसिंग मण्डी में जमा करनी होगी।

(12) निर्यातकर्ता लाइसेंसधारी द्वारा निर्यात दायित्व सिद्ध करने के लिए क्रय की गयी मात्रा से प्रसंस्कृत उत्पाद/उत्पादों का निर्यात, 95 प्रतिशत का न्यूनतम मानक विहित किया जाता है। अपेक्षाकृत कम मात्रा में निर्यात की स्थिति में न्यूनतम मानक से वास्तविक निर्यात के अन्तर को स्थानीय ब्रिकी के रूप में माना जायेगा और इस पर नियमानुसार मण्डी शुल्क तथा विकास उपकर संदेय होंगे।

2- पूर्वोक्त फर्म, इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त वस्तुओं को उत्तर प्रदेश की उन समस्त कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में क्रय करने के लिये हकदार होगी, जहाँ से वह संबंधित कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा जारी विधिमान्य लाइसेंस प्राप्त किया हो।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-21/2019/965/(1)/80-1-2019तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित दिनांक 04 नवम्बर, 2019 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ। कृपया अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

(2) निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) जिलाधिकारी, रामपुर ।

(4) सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, रामपुर।

(5) मै0 स्वाती मेन्थाल एण्ड एलाइड कैमिकल्स लि0, बरेली रोड, जिला-रामपुर पिन-244901, उत्तर प्रदेश।

(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

समर बहादुर
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।